Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अजमेर में कार्यालय संभागीय आयुक्त का सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर 95 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *05 अप्रेल, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.यू. अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये याकूब बक्श सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय संभागीय आयुक्त, अजमेर को परिवादी से **95 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.यू. अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विभागीय कार्यवाही में दिये गये दण्डादेश की अपील में निर्णय पक्ष में करवाने की एवज में याकूब बक्श सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा **1 लाख 50 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी एस.यू., अजमेर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राकेश वर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये याकूब बक्श पुत्र श्री अली बक्श निवासी भूणाबाय, केसर कीड्स स्कूल वाली गली, जयपुर रोड़, थाना सिविल लाईन्स, अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रीडर, कार्यालय संभागीय आयुक्त, अजमेर को परिवादी से **95 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी रीडर द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।